अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 36/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. उमेश चन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री नर सिंह शर्मा निवासी प्लाट नम्बर 14/84 सुखालपुरा मानसरोवर, जयपुर।
2. श्रीमती गीता शर्मा पत्नी श्री उमेश चन्द शर्मा निवासी प्लाट नम्बर 14/84 सुखालपुरा मानसरोवर, जयपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

श्रीमती मोना बोहरा पत्नी स्व. श्री मनमोहन शर्मा पुत्रवधु श्री उमेशचन्द शर्मा निवासी प्लाट नम्बर 14/84 सुखालपुरा मानसरोवर, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 06.02.2023. माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 73/2023 व उनवानी उमेश चन्द वनाम मोना वोहरा व अन्य

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 07.11.2024

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 73/2023 व उनवानी उमेशचन्द बनाम मोना बोहरा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2024 से व्यथित हो कर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रत्यर्थी मय प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष धारा 5 (1) (क) (ख) माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थीगण उक्त पते

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

के स्थाई निवासी है प्रत्यर्थी अपीलार्थीगण की विधवा पुत्रवधु है जो अपीलार्थीगण की स्व अर्जित सम्पत्ति मकान नम्बर 14/64 सुखालपुरा मानसरोवर जयपुर में अपनी संतानों के साथ निवासरत है। अपीलार्थीगण के पास आवास निवास हेतु उपरोक्त पते का ही मकान है उक्त मकान अपीलार्थीगण के स्वयं के नाम से है अपीलार्थीगण ने अपनी स्व अर्जित आय से उक्त मकान खरीद किया है जिसमें प्रत्यर्थी व उसकी संताने निवास कर रही है। इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा प्रारम्भ से ही स्नेहवश अपनी समस्त जमापूंजी स्व अर्जित आय को प्रत्यर्थी व उसके बच्चों पर खर्च किया जाता रहा है। अपीलार्थीगण वरिष्ठ नागरिक की परिधी में आते है कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है और अक्सर बीमार रहते है जिसके पास अपने स्वयं के लिए दवाई उपचार व अन्य घरेलू खर्चे के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है तथा अब अपीलार्थीगण के पास आय का कोई साधन नहीं है अपीलार्थीगण पूर्णतया अपने उपरोक्त छोटे पुत्र अभिषेक व पुत्रवधु शिल्पा पर आश्रित है । अपीलार्थीगण के पास आय का कोई जरिया अथवा स्त्रोत नही है। इस हालत में अपीलार्थीगण का सही ढंग से जीवन यापन संभव नहीं है, बल्कि प्रत्यर्थी आये दिन अपने बजुर्ग सास ससुर को उनकी निर्धनता एवं वर्तमान स्थिति के ताने देती रहती है व अपशब्द का प्रयोग करती है जिसमें अपीलार्थीगण को मकान अपने नाम करने की धमकी देती है, लडाई झगड़ा गाली गलौच करती है। अपीलार्थीगण बुजुर्ग, बीमार, बेसहारा, बिना सहारे के अन्यत्र कहीं भी जाने में असमर्थ है एवं स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तथा अपीलार्थीगण पर ही सामाजिक अर्थात जीवनयापन व ईलाज आदि का दायित्व है, जिसके चलते अपीलार्थीगण मानसिक, सामाजिक व आर्थिक व शारीरिक रूप से पीडित है और आय का अन्य कोई स्त्रोत नही होने के कारण जीवन बसर करने में असमर्थ है। अपीलार्थीगण अपनी वृद्धावस्था एवं बीमारी के चलते पूर्णतया अपने वारिसान उक्त छोटे पुत्र अभिषेक पर आश्रित है। जबकि प्रत्यर्थी अपने पुनित दायित्व एवं नैतिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रही है और अपनी आय का कोई भी हिस्सा अपीलार्थीगण को बतौर भरण पोषण नहीं दे रही हैं और अपीलार्थीगण के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण का जीवन नारकीय बना रखा है और प्रार्थीगण का खाने पीने, रहने भोजन आदि की सुख सुविधाओं से वंचित रकर रखा है प्रत्यर्थी का आचरण अपने सास–ससुर–माता–पिता के प्रति कभी भी सम्मान जनक नहीं रहा है वे हमेशा अपीलार्थीगण को हीन भावना से देखती है। अपीलार्थीगण को भरण पोषण आदि नहीं देकर अपने उपर बेजा खर्च की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेते हुये उल्टा अपीलार्थीगण को बोझ समझ रही है जबकि अपीलार्थीगण वृद्घावस्था में पूर्णरूप से आश्रित है अपीलार्थीगण कहीं भी आने जाने में असमर्थ है और अपना स्वयं का निजी कार्य करने में असमर्थ है तथा उपरोक्त मकान की पहली मंजिल पर प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण द्वारा निर्मित हिस्से पर कब्जा कर रखा है इस कारण अपीलार्थीगण का छोटे पुत्र अभिषेक व उसके परिवार के रहने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध ना होने के कारण दूसरी मंजिल पर छोटे पुत्र द्वारा निर्माण करवाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ करने पर प्रत्यर्थी ने काम रूकवा दिया और झूंठे मुकदमों के लिए पुलिस थाना मानसरोवर में लिखित में शिकायत दर्ज करवादी। इस कारण छोटा पुत्र व पुत्रवधु भारी अवसाद में है। अपीलार्थीगण, प्रत्यर्थी से भरण पोषण व आवास निवास, भोजन वस्त्र, चिकित्सा आदि की सुख सुविधा हेतु इस अधिनियम के तहत मांग करने के अधिकरी है। क्योंकि प्रत्यर्थी पूर्ण रूप से

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

बालिग एवं स्वस्थ्यचित है तथा सरकारी सेवा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी की आमदनी अपने जिम्मेदारियों के निर्वहन के पश्चात अपने सास माता के निर्वहन की जिम्मेदारी भी प्रत्यर्थी पर है जिसे पूर्ण करने के लिए वह सक्षम है। जिसे पूर्ण करने में कोताई बरत रहे है एवंप्रार्थीगणके पुत्र स्व० मनमोन की मृत्यु के उपरान्त बीमा कम्पनी से प्राप्त हुई समस्त राशि भी अपीलार्थीगण ने स्नेह वश प्रत्यर्थी को सम्भलवा दी, उसके उपरान्त भी प्रत्यर्थी का व्यवहार अपीलार्थीगण के प्रति उपेक्षा पूर्ण रहा। उक्त परिवाद के नोटिस तामील प्रत्यर्थी पर होने पर प्रत्यर्थी द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष मिथ्या तथ्यों पर आधारित जवाब प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ अधिकरण ने उभय पक्षकारान की बहस सुन कर अपीलार्थीगण की याचिका को अपने आदेश दिनांक 16.05.2024 के द्वारा खारिज फरमा दिया गया। अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष पेश किये गये प्रार्थना पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है था कि उक्त वर्णित सम्पत्ति अपीलार्थीगण द्वारा अपनी स्व अर्जित आय से कय की हुई है तथा उक्त सम्पत्ति के स्वामित्व के संबंध में अपीलार्थीगण को पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थिया व उसके बच्चें को प्रेम एवं स्नेह वश अपने स्वामित्व की उपरोक्त वर्णित सम्पति में निवास करने हेतु ईजाजत प्रदान की गई थी। जिसमें प्रत्यर्थिया का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं था लेकिन अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त तथ्य पर गोई गौर नहीं कर आलौच्य आदेश पारित किया गया जो प्रथम दृष्टया ही अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा बिना किसी सुदृढ आधार के अपीलार्थीगण के प्रार्थना पत्र को 'खारिज फरमा दिया गया जो कि नैसर्गिक सिद्वान्तो के पूर्णतया विपरीत हैं एंव अधीनस्थ अधिकरण द्वारा मात्र इस आधार पर कि अपीलार्थीगण द्वारा अपनी याचिका में अपने अन्य पुत्रों को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया ।" जबकि विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि अपीलार्थीगण जिस व्यक्ति के विरूद्व अनुतोष चाहते है, उसे ही पक्षकार के रूप में संयोजित कर सकते है, लेकिन अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त तथ्य पर कोई गौर नहीं कर आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया कि अपीलार्थीगण जिस व्यक्ति के विरूद्व अनुतोष चाहते है उसे ही पक्षकार के रूप में संयोजित कर सकते है। अधीनस्थ अधिकरण ने इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया कि अपीलार्थीगण सरकारी सेवा में है तथा वे अपनी देखभाल करने में पूर्णतया सक्षम है इसके अलावा अपीलार्थीगण के पुत्र स्व० मनमोहन के स्वर्गवास के उपरान्त बीमा कम्पनी से प्राप्त हुई भारी भरकम राशि प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त कर ली गई, जिस हेतु अपीलार्थीगण द्वारा अपने पूर्ण सहमति प्रत्यार्थी के निवेदन पर, कि वह अपने बच्चों के साथ पपृथक निवास कर अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करना चाहती है, दी गई लेकिन बीमा कम्पनी से भारी भरकम राशि प्राप्त करने के उपरान्त प्रत्यर्थिया की नियत बदल गई तथा प्रत्यर्थिया का आचरण एवं व्यवहार अपीलार्थीगण के पूर्णतया विपरीत हो गया तथा प्रत्यर्थिया आये दिन अपीलार्थीगण के साथ लडाई झगड़ा एवं गाली गलौच करने लगी है तथा अपीलार्थीगण को धमकियां देने लगी है कि वह तो उक्त सम्पति का आधा हिस्सा प्राप्त करके रहेगी तथा अपीलार्थीगण ने उसे आधा हिस्सा उक्त सम्पत्ति में से नहीं दिया तो वह अपीलार्थीगण एवं उनके छोटे पुत्र व उसकी पत्नी के विरूद्व झूंठे केस दर्ज करवा कर अपीलार्थीगण की वृद्वावस्था में उनका जीवन बर्बाद कर देगी, लेकिन

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त तथ्यों पर कोई गौर नही किया । प्रत्यर्थी व उसके बच्चों के अपीलार्थीगण के साथ निवासरत रहते हुये उक्त सम्पत्ति मे शान्ति पूर्वक निवास करना किसी भी प्रकार से सम्भव नही है । अपीलार्थीगण अपने ही स्वामित्व की सम्पत्ति मे डरे एवं सहमे हुये तथा पूरी तरह से भयभीत रहते है तथा उन्हें हमेशा यह डर सताता रहता है कि प्रत्यर्थिया का जाने कब आचरण बदल जावे तथा प्रत्यर्थी, अपीलार्थीगण के साथ कोई अनहोनी घटना कारित कर देवें। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त कर प्रत्यर्थिया को बेदखल किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रत्यर्थिया ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अपीलार्थीगण का पुत्र स्व. श्री मनमोहन शर्मा जो कि प्रत्यर्थी के पति थे, उनका दिनांक 11.09.2019 को स्वर्गवास हो गया। विधवा कोटे से प्रत्यर्थी की सरकारी नौकरी लग गई। प्रत्यर्थी के दो संतान जयन्त अहमदाबाद मे इंजिनियरिंग की पढाई के लिए अध्ययनरत है तथा रचित कक्षा 9 में अध्ययनरत है। दोनों संतानें पूर्ण रूप से प्रत्यर्थी पर आश्रित है। उक्त आवासीय मकान में प्रार्थीगण के साथ ग्राउण्ड फ्लोर पर देवर-देवरानी निवास करते है तथा मकान के प्रथम मंजिल पर प्रत्यर्थिया अपनी दोनों संतानों के साथ निवास करती है । उक्त मकान दो मंजिला बना हुआ है अप्रार्थी संख्या 2 गीता देवी सरकारी अध्यापक के पद से सेवा निवृत्त है जिसे 55-60 हजार रूपये मासिक पेंशन आती है। प्रत्यर्थी के देवर व देवरानी द्वारा जानबूझ कर प्रत्यर्थी व उसके दोनों बच्चों को सम्पत्ति से बेदखल करने की नियत से एवं प्रत्यर्थी के पति का स्वर्गवास होने पर बीमा कम्पनी से प्राप्त राशि हड़प करने एवं अपीलार्थीगण की अचल सम्पत्ति को हडप करने की मंशा मात्र से अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को परदे के पीछे रख कर प्रत्यर्थी के देवर अभिषेक द्वारा अपीलार्थीगण से प्रत्यर्थी को टोरचर करने, मानसिक व शारीरिक वेदना देन, तंग व परेशान करने तथा मकान से बेदखल करने, बीमा कम्पनी से प्राप्त राशि हड़पने करने की मंशा से बेईमानीपूर्वक उक्त झूंठा प्रकरण करवाया है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा समस्त तथ्यों पर गौर फरमा कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे ।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

अपीलार्थीगण ने यह अपील प्रस्तुत कर दो अनुतोष चाहे है। प्रथम प्रत्यर्थी से भरण पोषण हेतु 5000/-रूपये प्रति माह व रहन सहन, वस्त्र, चिकित्सा, सुरक्षा आदि के लिए एक मुश्त 1,00,000/- रूपये दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी सख्या 2 श्रीमती गीता शर्मा अध्यापक पद से सेवा निवृत्त है जिसे पर्याप्त मात्रा में पेन्शन एवं चिकित्सा सुविधा मिलती है। इसलिए अपीलार्थिया का भरण पोषण एवं एक मुश्त राशि दिलाये जाने का अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.05.2024 को अपास्त कर अपनी स्व अर्जित सम्पत्ति से अपनी विधवा पुत्रवधु को बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलार्थीगण की विधवा पुत्रवधु मोना बोहरा के दो संतान जयन्त तथा रचित है, जो वर्तमान में अध्ययनरत है और अपीलार्थीगण के पौत्र भी है जो अवयस्क होने से अपनी माता के साथ रहते है, उन्हें दादा दादी की सम्पत्ति से बेदखल किया

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जाना न्यायिक दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण का परिवाद खारिज किया गया है जिसमे जिसमे हम किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

प्रत्यर्थी को पाबन्द किया जाता है कि अपलार्थीगण के साथ किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार गाली-गौलोच, मारपीट नही करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को नि: शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

आदेश आज दिनांक **07.11.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर